रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 1977/श्रावण 3, 1899

No. 130] NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 1977/SRAVANA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th July 1977

SUBJECT.—*Import of Viscose/Filament Yarn Issue of licences to actual users for the licensing period, April 1977—March 1978*

No 52-(ITCPN)/77—Attention is invited to the I.T C. Policy (Volume I) for the period April 1977—March 1978.

2. It has been decided to allow import of viscose/filament yarn to the following categories of actual users:—

(i) actual users engaged in the textile industry and holding industrial licence/registration certificate issued under Item No. 23(5) of the 1st Schedule to the Industries (Development & Regulation), Act, 1951; and

(ii) all art silk units registered with the Textile Commissioner, Bombay, and holding permits under the Art silk Textile Control Order issued by the Textile Commissioner, Bombay, including Co-operative Societies and Registered Associations of Art silk Powerloom owners whose looms are covered by permits issued by the Textile Commissioner, Bombay.

3. Actual users eligible for licences in terms of para (2) above, should submit applications to the regional licensing authorities concerned for issue of licences for import of viscose filament yarn on a free licensing basis. Import licences will be issued for the value applied for. It shall be the condition of the licence that the imported goods shall be used only in the licensee's own unit for production of goods for which industrial licence/registration certificate is held.

4. Import licences issued in terms of this public notice will have a validity period of six months from the date of issue. The shipments should be made within the validity period and no grace period for shipment of goods will be allowed.

5. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period 1977-78:—

(I) The following additional Remark (8) may be deemed to have been inserted in column 3 against heading No. 51·01/03, 56·01/04 and 56·05/06 at page 42 in Section II of the policy Book:—

"(8) Import of Viscose Filament Yarn will be allowed on a liberal basis to the following categories of actual users,—

(a) Actual users engaged in the textile industry and holding industrial licence/registration certificate issued under item No. 23(5) of the 1st Schedule to the Industries (D & R) Act, 1951;

(b) All art silk units registered with the Textile Commissioner, Bombay, and holding permits under the Art silk Textile Control Order issued by the Textile Commissioner, Bombay, including Co-operative Societies and Registered Associations of Art silk Powerloom owners whose looms are covered by permits issued by the Textile Commissioner, Bombay.

(Please see Appendix 2 of this book)".

(II) The following entries may be deemed to have been made in Appendix 2, Page 116 of the Import Trade Control Policy Book for 1977-78.—

Sl. No.	Description of goods	Category of importers to whom allowed
5A.	Viscose Filament Yarn.	(a) Actual users engaged in the textile industry and holding industrial licence/registration certificate issued under item No. 23(5) of the 1st Schedule to the Industries (D&R) Act, 1951; (b) All art silk units registered with the Textile Commissioner, Bombay and holding permits under the Art silk Textile Control Order issued by the Textile Commissioner, Bombay, including Co-operative Societies and Registered Associations of Art silk Powerloom owners whose looms are covered by permits issued by the Textile Commissioner, Bombay

(III) Licences issued will be valid for a period of six months from the date of issue.

A. S GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 जलाई, 1977

विषय.—विस्कोस तन्तु धागे का आयात . अप्रैल 1977—मार्च 1978 की लाइसेंस अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस जारी करना ।

सं० 52-आईटीसी(पीएन), 77.—अप्रैल 1977—मार्च 1978 की अवधि की आयात नीति पुस्तिका (वा० I) की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि वास्तविक उपयोक्ता की निम्नलिखित श्रेणियों को विस्कोस तन्तु धागे के आयात की अनुमति दी जाए —

(i) जो वास्तविक उपयोक्ता वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं और जिनके पास उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद सख्या 23(5) के अधीन जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र हो ; और

(ii) सभी आर्ट सिल्क यूनिट जो वस्त्र आयुक्त, बम्बई से पजीकृत हो, और जिनके पास आर्ट सिल्क वस्त्र नियत्रण आदेश के अधीन वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिट हों, इनमें सहकारी समितिया और आर्ट सिल्क शक्ति चालित करघा मालिकों के वे पजीकृत सघ शामिल हैं जिनके करघे वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिटो के अन्तर्गत आते हो ।

3. उपर्युक्त पैरा (2) की शर्तों के अनुसार लाइसेंसों के लिए पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को विस्कोस तन्तु धागे के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अपने आवेदन पत्र स्वतन्त्र लाइसेंसिंग आधार पर सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहियें । लाइसेंस की शर्त यह होगी कि आयातित माल का उपयोग केवल लाइसेंसधारी के एकक मे उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाएगा जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकृत प्रमाण-पत्र दिया गया है ।

4. इस सार्वजनिक सूचना के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसो की वैधता अवधि जारी होने की तिथि से 6 मास होगी । पोतलदान वैधता अवधि के भीतर हो जाना चाहिए और माल के पोतलदान के लिए किसी भी रियायती अवधि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. 1977-78 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तक (वा० I) में निम्नलिखित संशोधन उचित स्थानों पर किए जायेंगे .—

(i) नीति पुस्तक के खड 2 मे पृष्ठ स० 42 पर शीर्षक स० 51.01/0.3, 56 01/04 और 56.05/06 के सामने कालम 3 म निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी (8) को जोडा गया समझा जाए —

"(8) वास्तविक उपयोक्ता की निम्नलिखित श्रेणियो को विस्कोस तन्तु धागे के आयात की अनुमति उदार आधार पर दी जाएगी :—

(क) जो वास्तविक उपयोक्ता वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं और जिनके पास उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 23(5) के अधीन जारी किए औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकृत प्रमाण-पत्र हो ;

(ख) सभी आर्ट सिल्क यूनिट जो वस्त्र आयुक्त, बम्बई से पंजीकृत हों और जिनके पास आर्ट सिल्क वस्त्र नियंत्रण आदेश के अधीन वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिट हों, इनमें सहकारी समितियां और आर्ट सिल्क शक्तिचालित करघा मालिकों के वे पंजीकृत संघ शामिल हैं जिनके करघे वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिटों के अन्तर्गत आते है ।

(कृपया इस पुस्तक के परिशिष्ट 2 देखें) ।

(ii) 1977-78 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के परिशिष्ट 2 के पृष्ठ 116 पर निम्नलिखित प्रविष्टि की गई समझी जाए :—

क्रम सं०	माल का विवरण	आयातकों की श्रेणी जिन्हें अनुमति दी गई है
5(ए)	विस्कोस तन्तु धागा	(क) जो वास्तविक उपयोक्ता वस्त्र उद्योग में लगे हुए है और जिनके पास उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 23(5) के अधीन जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस, पंजीकृत प्रमाण-पत्र हों , (ख) सभी आर्ट सिल्क यूनिट जो वस्त्र आयुक्त, बम्बई से पंजीकृत हों और जिनके पास आर्ट सिल्क वस्त्र नियंत्रण आदेश के अधीन वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिट हो, इन में सहकारी समितियां और आर्ट सिल्क शक्तिचालित करघा मालिकों के वे पंजीकृत संघ शामिल है जिनके करघे वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिटों के अन्तर्गत आते हैं ।

(iii) लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 मास की अवधि के लिए वैध होंगे ।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977